FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

गोम्पाराम बनाम अचलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राज०भा०अ० 111, 128 RLRAct न. 124/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/04/2021	~~प्रार्थी~~/~~वादी~~/~~अपीलांट~~ के वकील श्री धर्माराम साऊ ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/~~वाद~~/अपील धारा 111, 128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू ~~राजस्व अधिनियम~~ के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~ /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10/05/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 8/4/2021 सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
10/05/2021	पत्रावली [illegible] अनुसार [illegible] उपस्थित पीठासीन अधि[illegible] का पद रिक्त है अतः पत्रावली इन्तजार हाकर दिनांक 24/08/2021 को पेश हो।	
24/08/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त / श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजा होकर आगामी दिनांक 24/11/2021 को पेश हो। //	

अज अव
व हुक्म

24/11/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों नोटिस तामिल मय तामिल प्राप्त। मीनार पीठासीन अधिकारी प्रशासन कार्यों के संग फरियाद 2021 केसों के व्यस्त होने से मिसल इलका होकर आगामी दिनांक - 21/04/2022 को पेश हो।

21/04/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण ~~बावजूद तामील~~ स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 04/05/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बापनू

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	**हुक्म** कार्यवाही **मय** इनिशियल्यस **जज**	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 547 दिनांक : 04/05/2022

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. गेम्परराम पुत्र भुराराम वगैरा 14, जाति देवासी, निवासी कोलू, पटवार मण्डल कोलू, तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. अचलाराम पुत्र गंगाराम वगैरा 26, जाति जाट, निवासी मोराला, पटवार मण्डल कोलू, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 124 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – मोराला, पटवार मण्डल – कोलू, तहसील – बायतु के खेत खसरा नं. 591 / 324, 593 / 333, 592 / 324, 594 / 333 रकबा क्रमशः 3.4787, 3.3169, 3.4787, 3.3088 हैक्टयर व मौजा – कोलू, पटवार मण्डल – कोलू, तहसील – बायतु, जिला – बाड़मेर के खेत खसरा नं. 359, 1091 / 359, 1090 / 359 रकबा क्रमशः 8.4136, 8.2114, 15.1930 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(SDO) बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 04/05/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 548-552

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोलू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गेम्पररराम पुत्र भुराराम वगैरा 14,
4. विप्रार्थी श्री अचलाराम पुत्र गंगाराम वगैरा 26,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु